नामांकन संबंधी नियम

1. नामांकन के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक छात्र-छात्राओं से यह अपेक्षा की जाती है कि नामांकन संबंधी विज्ञप्ति के प्रकाशन के बाद विहित आवेदन प्रपत्र को ऑनलाइन भरकर वांछित सभी मूल प्रमाण-पत्रों की छाया प्रतियों को किसी प्राधिकृत अधिकारी से सत्यापित कराकर उन्हें आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न कर निर्धारित तिथि तक कॉलेज में अवश्य जमा कर दें।

2. निर्धारित तिथि के बाद किसी भी परिस्थिति में नामांकन प्रपत्र (Admission Form) को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. अस्पष्ट तथा अपूर्ण रूप से भरे हुए नामांकन प्रपत्र पर कोई विचार नहीं होगा और वैसे फार्मों को अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार पटना विश्वविद्यालय को होगा।

4. **पटना विश्वविद्यालय नामांकन संबंधी अधिनियम के तहत केवल नामांकन प्रवेश परीक्षा (Entrance Test) PUCET-2019 में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची (Merit-lists) के अनुसार किया जा सकेगा।**

5. स्नातक कला (बी० ए०), स्नातक विज्ञान (गणित) और स्नातक विज्ञान (जीव विज्ञान) विषयों में नामांकन के लिए इच्छुक छात्रों को **अलग-अलग विहित** नामांकन प्रपत्रों में आवेदन करना अनिवार्य होगा। **एक वर्ग के लिए आवेदित प्रपत्र को दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं किया जायेगा।**

6. वैसे छात्र जो कि आरक्षित वर्ग में मिलिट्री, विकलांग तथा अप्रवासी भारतीय कोटे के तहत नामांकन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें भी सामान्य फार्म के साथ-साथ अलग से कॉलेज काउंटर से विहित प्रपत्र लेकर प्रमाण-पत्र सहित जमा करना होगा।

7. **नामाकंन के समय विवरण पत्रिका (Prospectus) में निर्धारित विषयों को विभिन्न श्रेणियों के तहत ही अपने विषयों का चुनाव करना अनिवार्य है।** विषय-समूह से अलग हटकर विषयों के चुनाव करने पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। चयनित विषय समूह का आवंटन, निर्धारित सीटों की संख्या के अनुसार मेधाक्रम में ही किया जायेगा। सीट भर जाने पर वह विषय समूह आवंटित नहीं किया जायेगा और इसे बदल कर सीटों की उपलब्धता के अनुसार कोई दूसरा विषय समूह आवंटित किया जायेगा।

8. नामांकन के समय छात्र-छात्राओं को सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र तथा 4 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा उन्हें स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होगा अन्यथा नामांकन नहीं किया जा सकेगा।

Scanned by CamScanner

9. नामांकन के समय प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्रों के जाँचोपरान्त यदि उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पायी गयी तो पटना विश्वविद्यालय सामान्य अधिनियम clause 9(C) के तहत छात्र/छात्रा का नामांकन रद्द कर दिया जायेगा।

10. वर्ग प्रारंभ होने के बाद बिना किसी ठोस कारण के लगातार दो महीनों तक अनुपस्थित रहने वाले छात्र/छात्रा के नाम पटना विश्वविद्यालय सामान्य अधिनियम clause 10 के आलोक में काट दिए जायेंगे।

11. नामांकन के साथ-साथ पंजीयन (Registration) कराना अति आवश्यक है।

12. प्रवेश परीक्षोपरान्त महाविद्यालय/पटना विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन-विमर्श (Councelling) के बाद नामांकन किया जा सकेगा।

13. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार महाविद्यालय में किसी प्रकार की रैगिंग दण्डनीय अपराध है। इसके दोषी पाये जाने वाले छात्र-छात्राओं पर प्राथमिकी दर्ज कराया जायेगा।**

आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों का विवरण :

आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति अवश्य संलग्न करें अन्यथा नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा–

1. विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग-पत्र SLC/CLC की छात्र प्रति।

2. वैसे छात्र/छात्रा जो BC-II/BC-I/SC/ST कोटि के तहत आते हैं उन्हें DM या SDO के कार्यालय से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की फोटो प्रतिलिपि आवेदन-पत्र के साथ जमा करना होगा। अगर DM/SDO कार्यालय से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हो तो BDO/CO के कार्यालय से निर्गत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति भी लगायी जा सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में नामांकन के साथ DM या SDO द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. अगर NCC का B अथवा C Certificate है तो उसकी छाया प्रति।

4. **वैसे छात्र जो कि आरक्षित वर्ग में खेलकूद/फाइन आर्ट्स/पटना वि.वि. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वार्ड्स, सैनिक, विकलांग अथवा विदेशी कोटा** के तहत नामांकन के लिए इच्छुक हैं, उन्हें भी (सामान्य फार्म के साथ-साथ) अलग से कॉलेज काउंटर से विहित प्रपत्र प्राप्त कर अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के साथ जमा करना होगा।

5. अगर आवेदनकर्त्ता **नियमित छात्र** नहीं है अर्थात् उसने पिछली परीक्षा 2019 से पहले पास की है तो इस आशय के एक शपथ-पत्र (Court Affidavit) की छाया प्रति जमा करना होगा कि उसने पिछली परीक्षा पास करने के बाद से कहीं और नामांकन नहीं कराया है तथा नामांकन के समय इसकी मूल प्रति जमा करना होगा।

Scanned by CamScanner

6. विकलांगता के आधार पर नामांकन का दावा करने वाले को केवल अपने जिले के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जिस पर विकलांगता का प्रतिशत उल्लेखित हो तथा सिविल सर्जन द्वारा अभिप्रमाणित फोटो भी चिपका हुआ हो, इसकी छाया प्रति संलग्न करें। नामांकन के समय इसकी मूल प्रति जमा करना है।

7. रक्षा कोटा के अन्तर्गत सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारियों के लिये केवल सैनिक निदेशालय द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र तथा कार्यरत रक्षा कर्मचारियों को संबंधित नियंत्रक अधिकारी (Controlling Officer) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य है। आवेदन के साथ इसकी छाया प्रति संलग्न करें। नामांकन के समय मूल-प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

8. खेलकूद/ललित कला के राजस्तरीय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के प्रमाण-पत्र को छायाप्रति संलग्न करें। नामांकन के समय मूल-प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

9. विदेशी नागरिक कोटा के आधार पर नामांकन के लिए भारत में स्थित सम्बद्ध दूतावास का तथा नागरिकता का प्रमाण-पत्र नामांकन के समय जमा करना आवश्यक है। आवेदन के साथ सम्बद्ध प्रमाण-पत्र की छाया प्रति जमा करना है।

10. छात्रों के आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा कि नामांकन के बाद प्रतिष्ठा के रूप में चयनित विषय का परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। शपथ-पत्र प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

11. नामांकन के समय सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर नामांकन के दावे को रद्द समझा जायेगा।

12. छात्रों के लिए कक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।

Scanned by CamScanner